न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 129 / 2023 दायर दिनॉक 04.09.2023

वादी	बनाम्	प्रतिवादी
1. हीराराम पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी रिक्शाबास तहसील मौलासर जिला डीडवाना— कुचामन राज0।		1. तहसीलदार मौलासर। 2. छगनाराम पुत्र श्री हणुताराम 3. लालाराम पुत्र श्री हणुताराम 4. गोपीराम पुत्र श्री हणुताराम 5. पन्नाराम पुत्र श्री हणुताराम 6. पप्पु उर्फ नानुराम पुत्र श्री हणुताराम समस्त जाति जाट निवासी रिक्शाबास तहसील मौलासर जिला डीडवाना—कुचामन।

राजस्व—वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः—

श्री अजीत सिंह राठौड़ एडवोकेट वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनॉक 25.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम रिक्शाबास के खेत खसरा सं0 250 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 251 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 252 रकबा 6.5300 हैक्टे0, खसरा सं0 138 रकबा 1.8100 हैक्टे0, खसरा सं0 223 रकबा 1.8600 हैक्टे0, खसरा सं0 257 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 258 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 259 रकबा 0.0400 हैक्टे0, खसरा सं0 261 रकबा 3.9200 हैक्टे0, खसरा सं0 269 रकबा 1.2000 हैक्टे0, खसरा सं0 253 रकबा 2.1000 हैक्टे0, खसरा सं0 254 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 255 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 256 रकबा 0.0100 हैक्टे0, खसरा सं0 262 रकबा 1.8300 हैक्टे0, खसरा सं0 263 रकबा 0.0200 हैक्टे0, खसरा सं0 264 रकबा 0.1000 हैक्टे0, खसरा सं0 56 रकबा 3.9000 हैक्टे0, भूमि में स्थित है। उक्त भूमि में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल /सहवन से वादी का नाम हीराराम पुत्र हणुताराम दर्ज हो रखा है जबकि वादी के समस्त सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी दस्तावेजों में हीराराम पुत्र खेमाराम वर्णित है। अतः उक्त खसरा नम्बरान् में हीराराम पुत्र हणुताराम के स्थान पर हीराराम पुत्र खेमाराम दर्ज करवाना चाहता है। राजस्व रेकर्ड के खसरा संख्या 253, 254, 255, 256, 262, 263, 264 व 56 की खतौनी में सहवन से हीरालाल लिख दिया। इसलिए वादी का सही नाम समस्त राजस्व रेकर्ड में हीराराम पुत्र खेमाराम दर्ज करवाना चाहता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:01:01 IST
Reason: SelfAttested

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः—

राजस्व रिक्शाबास के खेत खसरा सं0 250, 251, 252, 138, 223, 257, 258, 259, 261, 269, 253, 254, 255, 256, 262, 263, 264 व 56 में हीराराम पुत्र हणुताराम, हीरालाल पुत्र हणुताराम तथा हीरा[illegible] पुत्र हुणताराम के स्थान पर हीराराम पुत्र खेमा राम के नाम से खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर प्रार्थी हीराराम पुत्र खेमा राम के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मौलासर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/1233 दिनांक 09.12.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद रिक्शावारा के खेत खसरा सं0 250, 251, 252, 138, 223, 257, 258, 259, 261, 269, 253, 254, 255, 256, 262, 263, 264 व 56 में हीराराम पुत्र हणुताराम, हीरालाल पुत्र हणुताराम तथा हीरारात पुत्र हुणताराम के स्थान पर हीराराम पुत्र खेमा राम दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट के अनुसार सरहद रिक्शाबास में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में नाम हीराराम पुत्र हणुता, हीरारात पुत्र हणुताराम, हीरालाल पुत्र हणुताराम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों में हीराराम पुत्र खेमाराम दर्ज है। जमाबंदी अनुसार हीराराम व उनके भाइयों के पिता का नाम हणुताराम दर्ज है। हीराराम के पिताजी का वास्तविक नाम हणुताराम ही है। वादी के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादी किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार मौलासर की रिर्पोट के अनुसार हीराराम के पिताजी का वास्तविक नाम हणुताराम ही है। जमाबंदी अनुसार हीराराम व उनके भाइयों के पिता का नाम हणुताराम दर्ज है। वादी के अन्य दस्तावेजों में पिता का नाम खेमाराम अंकित होने से राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है तहसीलदार मौलासर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादी के पिता का नाम हणुताराम ही है जो कि जमाबंदी अनुसार हीराराम व उनके भाइयों के पिता का नाम हणुताराम दर्ज है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद रिक्शाबास के खेत खसरा सं0 250, 251, 252, 138, 223, 257, 258, 259, 261, 269, 253, 254, 255, 256, 262, 263, 264 व 56 में हीराराम पुत्र हणुताराम, हीरालाल पुत्र हणुताराम तथा हीरारात पुत्र हुणताराम के स्थान पर हीराराम पुत्र खेमा राम दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:01:01 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 25.02.2025 को [illegible]

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना